




आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
23/05/2022	<p style="text-align: center;">प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची</p> <p style="text-align: center;">एस0 ए0 आर0 पुनरीक्षण 93/2016</p> <p style="text-align: center;">अंजू देवी बनाम मुनिया देवी एवं राज्य</p> <p>प्रश्नगत पुनरीक्षण आवेदन उपायुक्त, राँची द्वारा एस0 ए0 आर0 अपील-114-R15/2014-15 में पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। मूलतः भूमि वापसी वाद संख्या-428/2012-13 में विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा ग्राम-हेंसल, खाता नम्बर-91, प्लॉट-672 के 02 कट्ठा भूमि को मुआवजा के आधार पर विनियमित किया गया था। उपायुक्त द्वारा प्रश्नगत आदेश को मिलीभगत की कार्रवाई तथा गलत तथ्यों पर पारित आदेश का निष्कर्ष अंकित करते हुये इस आदेश को रद्द किया गया, जिसके विरुद्ध यह पुनरीक्षण दायर किया गया है। प्रश्नगत वाद में आवेदक के तरफ से अंतिम हाजिरी दिनांक-21.03.2017 को दी गयी है। उक्त तिथि से ही आवेदक न्यायालय से लगातार अनुपस्थित है। उन्हें सुनवाई हेतु लगातार तिथियों पर मौका दिया जाता रहा, किन्तु आवेदक न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। इस प्रकार विगत 06 वर्ष से यह वाद सुनवाई हेतु अंगीकृत नहीं किया जा सका है। अंततः उपलब्ध कागजातों के आधार पर वाद के निष्पादन का निर्णय लिया गया।</p> <p>आवेदकों का दावा है कि वर्ष-1943 में प्रश्नगत भूमि उनके द्वारा मौखिक बिक्री से प्राप्त की गयी तथा उक्त समय से ही वे इस भूमि पर निर्माण किये हुये है। इस संबंध में उनके द्वारा कोई भी साक्ष्य अथवा तथ्य किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा तथ्यों की उचित जाँच/समीक्षा किये बगैर ही आवेदकों को मुआवजा भुगतान के आधार पर भूमि विनियमित करने का आदेश पारित कर दिया गया। आवेदकों के पास प्रश्नगत भूमि पर Schedule Area Regulation-1969 के लागू होने के पूर्व किसी प्रकार के निर्माण किये जाने के संबंध में कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। सादा बिक्री पत्र के</p>	



आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश गई क वारे मे तारीख
<p>आधार पर भूमि का हस्तांतरण निबंधन अधिनियम के प्रावधानों के भी विपरीत है। स्पष्टतः विशेष विनियमन पदाधिकारी के न्यायालय में गलत तथ्य प्रस्तुत कर बिना किसी ठोस आधार के मुआवजा भुगतान का आदेश प्राप्त कर लिया गया। अपीलीय न्यायालय द्वारा तकनीकी पदाधिकारियों के दल से प्रश्नगत स्थल की जाँच करायी गयी, जिसमें यह स्पष्ट किया कि उक्त भूमि पर किये गये निर्माण वर्ष-2014 के पूर्व ही किये गये थे। अपीलीय न्यायालय में आवेदकों के द्वारा स्वयं ही कुछ फोटोग्राफ प्रस्तुत किये गये थे, जिससे भी उक्त निर्माणों के कुछ वर्ष पूर्व ही किये जाने की पुष्टि हुई। स्पष्टतः आदिवासी रैयती भूमि को अवैध तरीके से गलत तथ्यों के आधार पर विनियमित किया गया था, जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा रद्द किया जा चुका है। आवेदकों के आवेदन में कोई भी नया तथ्य उल्लेखित नहीं है। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जाता है।</p>	लेखापित एवं संशोधित	 प्रमण्डलीय आयुक्त
 प्रमण्डलीय आयुक्त		